

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र सं०- 27/DoH/SS/51/2026 - 40पी.एम्. - 83 - /क०, पटना दिनांक-10.09, 2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय-

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 1407.945 लाख (चौदह करोड़ सात लाख चौरानवे हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 1407.945 लाख (चौदह करोड़ सात लाख चौरानवे हजार पाँच सौ) रुपये मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार कर उसके उत्पादन में वृद्धि करना तथा प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर कृषकों के आय में वृद्धि करना है। योजना का भौतिक आकार अनुसूची-1 के अनुरूप कुल 1407.94500 लाख रुपये की है।

3. इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि-जलवायु अनुकूलता, मृदा की विशिष्टता एवं बाजार सम्पर्कता के आधार पर चिन्हित राज्य के कुल 30 जिलों यथा-औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गयाजी, गोपालगंज, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चम्पारण में किया जायेगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन सभी संबंधित जिलों में चयनित क्लस्टरों में किया जायेगा। एक क्लस्टर का तात्पर्य प्रति ग्राम पंचायत में न्यूनतम 25 हेक्टेयर है। क्लस्टर चयन संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। विगत वर्षों के लाभ प्राप्त लाभुकों का चयन किसी भी परिस्थिति में इस वर्ष नहीं किया जायेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा प्रभेद के उत्पादन हेतु अनुमोदित प्रत्यक्षण/बीज उत्पादन मॉडल के आलोक में किया जायेगा, जो अनुसूची-2 के रूप में संलग्न है।

6. आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा की खेती हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 क्विंटल है। अनुमानित बीज मूल्य 4,000.00 रुपये प्रति क्विंटल/वास्तविक बीज मूल्य दोनों में से जो कम होगा, पर कृषकों को बीज उपलब्ध करायी जायेगी। प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत

बीज मूल्य सहित 1,25,150.00 रुपये मात्र पर 75 प्रतिशत अर्थात् 93,863.00 रुपये मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से अनुसूची-2 के अनुसार अनुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 70,397.00 रुपये इनपुट एवं उपादान क्रय के लिए तथा द्वितीय किस्त के रूप में 23,466.00 रुपये प्रति हेक्टेयर आलू रोपाई उपरांत स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् दी जायेगी।

7. रबी मौसम में आलू की खेती माह-अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर के द्वितीय सप्ताह तक सफलतापूर्वक किया जाता है। रबी (वासंतिक) मौसम में आलू के लेडी रोसेटा प्रभेद के क्षेत्र विस्तार हेतु टिशू कल्चर द्वारा संवर्धित आधार बीज-1 (G-3) किसानों को संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी (उद्यान निदेशालय) द्वारा आमंत्रित ई-निविदा के माध्यम से निर्धारित L1 दर बीज सहित अन्य उपादान संबंधित एजेंसियों के माध्यम से नियमानुसार बीज की आपूर्ति की जायेगी।

8. इस योजना का लाभ लेने हेतु किसानों का DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। बिहार कृषि ऐप के माध्यम से आवेदन किया जायेगा। योजना अन्तर्गत कृषकों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।

9. आलू की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों के साथ-साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टे और बटाई की जमीन पर आलू की खेती करने वाले कृषकों को एकरारनामा (अनुसूची-3) के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.10 हे०) तथा अधिकतम 5.0 एकड़ (2.00 हे०) तक का लाभ कृषकों को दिया जायेगा।

10. यह अनुदान की योजना है। इसमें मानव दिवस का सृजन संभावित नहीं है।

11. योजनान्तर्गत प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत, जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत तथा प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान द्वारा 01 प्रतिशत जियो टैग्ड भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

12. उद्यान विकास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु उपबंधित राशि का पूर्णरूपेण अन्य योजना मद में व्यय होने के कारण इस योजना की राशि का व्यय सामान्य श्रेणी मद से किया जायेगा। योजनान्तर्गत सभी श्रेणी के लाभुकों का चयन किया जायेगा, जिसमें 30 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

13. योजना का कार्यान्वयन एजेंसी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी होंगे, जो अनुसूची-1 के अनुसार योजना के कार्यान्वयन तथा आवंटित राशि के व्यय के लिए पूर्णतः जवाबदेह होंगे। अनुसूची-1 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी जिला उद्यान पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी।

14. वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी अनुसूची-1 के अनुसार संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form - 25 पर CFMS-2.0 के माध्यम से निकासी की जायेगी।

15. महालेखाकार (ले० एवं ह०) को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

16. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जा सकेगा।

17. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार, पटना होंगे। निदेशक, उद्यान समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति की स्वयं समीक्षा करेंगे।

18. वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रु० में)

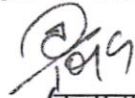
बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें, मांग सं०-01, उपशीर्ष-0101-उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड-01-2401001190101, विषय शीर्ष-0101.33.01 सब्सिडी।	10916.40	1407.945
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-01, उपशीर्ष-0130, उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड-01-2401007890130, विषयशीर्ष-0130.33.01, सब्सिडी।	2112.00	0.00
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-01, उपशीर्ष-0152-उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड-01-2401007960152, विषय शीर्ष-0152.33.01, सब्सिडी।	171.60	0.00
योग	13200.00	1407.945

19. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-10.08.2026 को आयोजित बैठक में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-973 दिनांक-12.08.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक-19.08.2026 को विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में योजना प्रस्ताव पर अनुशंसा प्राप्त है। उक्त के आलोक में योजना कार्यान्वयन के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या-27/DoH/SS/51/2026 के पृष्ठ संख्या-25/टि० पर दिनांक-07.09.2026 को प्राप्त है।

20. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 27/DoH/SS/51/2026 के पृ०सं०-24/टि० पर दिनांक-24.08.2026 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-576 दिनांक-24.08.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/51/2026 - पी०पी०एम०- 83- /क०, पटना दिनांक - 10.09, 2026
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/51/2026 - पी०पी०एम०- 83- /क०, पटना दिनांक - 10.09, 2026
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,

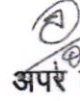
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/51/2026 - पी.पी.एस. - 83-कृ०, पटना दिनांक - 10.09, 2026
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/51/2026 - पी.पी.एस. - 83-कृ०, पटना दिनांक - 10.09, 2026
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना एवं सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

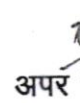
ज्ञापांक : 27/DoH/SS/51/2026 - पी.पी.एस. - 83-कृ०, पटना दिनांक - 10.09, 2026
प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एस.एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना /निदेशक, बांमेति, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक उद्यान/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 27/DoH/SS/51/2026 - पी.पी.एस. - 83-कृ०, पटना दिनांक - 10.09, 2026
प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्प), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।




अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

१ २

अनुसूची-1

ज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना के तहत जिलावार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	जिला/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य		श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य			कुल राशि
		भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य @ 0.93863 लाख रु० प्रति हेक्टेयर	सामान्य @ 100%	अनुसूचित जाति @ 0%	अनुसूचित जनजाति @ 0%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, औरंगाबाद	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, बाँका	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
3	जिला उद्यान पदाधिकारी, बेगूसराय	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
4	जिला उद्यान पदाधिकारी, भागलपुर	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
5	जिला उद्यान पदाधिकारी, भोजपुर	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
6	जिला उद्यान पदाधिकारी, बक्सर	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
7	जिला उद्यान पदाधिकारी, दरभंगा	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
8	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
9	जिला उद्यान पदाधिकारी, गयाजी	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
10	जिला उद्यान पदाधिकारी, गोपालगंज	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
11	जिला उद्यान पदाधिकारी, कैमूर	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
12	जिला उद्यान पदाधिकारी, कटिहार	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
13	जिला उद्यान पदाधिकारी, खगड़िया	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
14	जिला उद्यान पदाधिकारी, लखीसराय	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
15	जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
16	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
17	जिला उद्यान पदाधिकारी, मुंगेर	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
18	जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
19	जिला उद्यान पदाधिकारी, नवादा	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
20	जिला उद्यान पदाधिकारी, पटना	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
21	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णियाँ	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
22	जिला उद्यान पदाधिकारी, रोहतास	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
23	जिला उद्यान पदाधिकारी, समस्तीपुर	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
24	जिला उद्यान पदाधिकारी, सारण	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
25	जिला उद्यान पदाधिकारी, शेखपुरा	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
26	जिला उद्यान पदाधिकारी, सीतामढ़ी	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
27	जिला उद्यान पदाधिकारी, सिवान	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
28	जिला उद्यान पदाधिकारी, सुपौल	25	23.46575	23.46575	0.00000	0.00000	23.46575
29	जिला उद्यान पदाधिकारी, वैशाली	75	70.39725	70.39725	0.00000	0.00000	70.39725
30	जिला उद्यान पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण	50	46.93150	46.93150	0.00000	0.00000	46.93150
	कुल योग	1500	1407.94500	1407.94500	0.00000	0.00000	1407.94500

(मो० चौदह करोड़ सात लाख चौरानवे हजार पाँच सौ रुपये)

⑦

पवन कुमार

निदेशक उद्यान, बिहार।

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची-2

Demonstration/Seed Production of Varieties Suitable for Potato Chips (per hectare)

Sl. No.	Input Applications	Applications Rate/ Hectare	Quantity Applicable	Rate/Kg	Total Cost (in Rs.)	Maximum Financial Assistance @ 75%
				(in Rs.)		(in Rs.)
1	Breeder/ Foundation/ Certified Seed	30 Q	30 Q	40.00	120,000.00	90,000.00
2	Seed Treatment					
i)	Boric Acid	1.5 kg	1.5 kg	200.00	300.00	225.00
3	Plant Protection					
i)	Mancozeb	2.5 kg	2.5 kg	500.00	1,250.00	937.50
ii)	Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP	3.0 kg	3.0 kg	1200.00	3,600.00	2,700.00
	Grand Total				125,150.00	93862.50 or 93,863.00

नोट :-

- उपरोक्त मूल्य सांकेतिक है, बाजार मूल्य/सांकेतिक मूल्य जो न्यूनतम होगा, उसी के अनुसार अनुदानित राशि कृषक को अवयववार उपलब्ध करायी जायेगी।
- दिनांक 18.07.2024 को सम्पन्न यूनिट कॉस्ट कमिटी की बैठक में उपरोक्त वर्णित मदवार राशि की स्वीकृति प्राप्त है।




पवन कुमार


निदेशक उद्यान, बिहार।
(अभिषेक कुमार)

अनुसूची-3

कृषि विभाग

उद्यान निदेशालय

आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना
(वित्तीय वर्ष 2026-27) का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर-रैयत कृषक)
(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मैं.....पिता/पति.....
ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....
प्रखंड.....जिला.....का निवासी हूँ।
मैंने आलू की खेती के लिए कृषक श्री.....पिता/पति.....
.....ग्राम.....पोस्ट.....पंचायत.....
.....प्रखंड.....जिला.....से खाता संख्या.....
.....खेसरा संख्या.....रकवा..... जमीन बटाई/पट्टा पर प्राप्त किया है।
2. बटाई/पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर मेरे द्वारा आलू के प्रभेद लेडी रोसेटा की खेती की जायेगी।
3. उपर्युक्त सूचना सही है एवं किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जवाबदेही मेरी होगी तथा मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

कृषक का पूर्ण हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाईल नं०

1	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
			
			
			
2	गवाह का नाम एवं पता	हस्ताक्षर	मोबाईल नं०
			
			
			

सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

(पदनाम:- कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी)